रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09122022-240919
CG-DL-W-09122022-240919

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] **नई दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2022, शनिवार/ अग्रहायणा 6—अग्रहायण 12, 1944**
No. 44] **NEW DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1944**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संदर्भ में सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम 01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी माने जाएंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2017: -

(क) अनुसूची- I, क्रम संख्या 16क में राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2019 के तहत जोड़े गए, प्रबंधक के 3 पदों की संख्या के स्थान पर दिनांक 01.09.2022 से 01 पढ़ा जाए।

(ख) अनुसूची- I, क्रम संख्या 11, में अवर सचिव के 06 पदों की संख्या के स्थान पर दिनांक 01.09.2022 से 08 पढ़ा जाए।

(ग) अनुसूची-I में क्रम संख्या 19 को दिनांक 01.09.2022 से समाप्त माना जाए।

(घ) अनुसूची- I, क्रम संख्या 20 में अनुभाग अधिकारी के 24 पदों की संख्या के स्थान पर दिनांक 01.09.2022 से 25 पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए-12011/01/22-प्रशा.]

भारत भूषण, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st September, 2022

G.S.R. 172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling in this behalf, the President hereby makes the following rules to amend the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Second Amendment Rules, 2022.

(2) They shall deem to have come into force from 01st September, 2022.

2. In the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2017 :-

(a) in Schedule-I, SI. No. 16A added *vide* The President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) First Amendment Rules, 2019, against Number of Post of Manager– 03 may be read as 01 with effect from 01.09.2022.

(b) in Schedule-I, SI. No. 11, against Number of Post of Under Secretary– 06 may be read as 08 with effect from 01.09.2022.

(c) in Schedule-I, SI. No. 19 stands deleted with effect from 01.09.2022.

(d) in Schedule-I, SI. No. 20, against Number of Post of Section Officer– 24 may be read as 25 with effect from 01.09.2022.

[F. No. A-12011/01/22-Admn.]

BHARAT BHUSHAN, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 173.—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) समूह 'ख' राजभाषा काडर पद भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना -** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सा स्वास्थ्य -** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेप-I में हैं, प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में यथा विहित चिकित्सक दृष्टया योग्यता हैं, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन पात्र होंगे।

7. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)	66* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये) ।	चयन ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) की श्रेणी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा, चिकित्सा श्रेणी शेप-I और निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) पद के लिए विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय/ संघ राज्यक्षेत्रों/राज्य पुलिस संगठन के योद्धक अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद में से: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य स्तर में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। **(ग) चिकित्सा श्रेणी शेप-I** **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार

	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य I और सदस्य II	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)।	312* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित , अननुसचिवीय (योद्धक) ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
तीस वर्ष (केंन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

शारीरिक मानक :-

ऊंचाई	**पुरुष**	**महिला**
अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के सिवाय सभी अभ्यार्थियों के लिए	165 से.मी.	155 से.मी.
शिथिलीकरण: गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू - कश्मीर के अभ्यार्थियों के लिए	162.5 से.मी.	150 से.मी.
अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यार्थियों	162.5 से.मी.	150 से.मी.

छाती (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए)

	सामान्य (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति भी है)	अनुसूचित जनजाति
बिना फुलाए	77 सेमी	76 सेमी
फुलाने पर	82 सेमी	81 सेमी

वजन: चिकित्सा मानदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुरूप (पुरुषों और महिलाओं के लिए) और;

चिकित्सा मानक :-

ऑंखों की दृष्टि – दोष सुधार यानि चश्मा या लेंस धारण किए बिना एक ऑंख की न्यूनतम दूर की नजर 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 होनी चाहिए।

अभ्यार्थियों के घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, चपटे पांव, भेंगी आंखे या वेरीकोस वेन नहीं होनी चाहिए और उनकी वर्ण दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ किसी अन्य ऐसी शारीरिक विकृति से मुक्त होना चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है और केंन्द्रीय सरकार द्वारा भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षाओं के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी तरह से चिकित्सकीय रूप से फिट होने चाहिए।

वांछनीय :

कंप्यूटर संचालन तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(1 1)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; 2. दो, कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य I और सदस्य II	लागू नहीं होता

[फा. सं आर. नौ-1/2020-मंत्रा-डीए-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd November, 2022

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Hindi Translator) and Sub-Inspector (Hindi Translator) in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Inspector (Hindi Translator) and Sub- Inspector (Hindi Translator), Group 'B', Official Language Cadre posts, Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Application**.- These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. –** The number of posts, their classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. –** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness**. – Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for promotion and for appointment by direct recruitment only those persons who are medically fit as specified in the Central Government guidelines for recruitment in Central Armed Police Forces and Assam Rifles, shall be eligible under the provisions of these rules.

7. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Hindi Translator).	66* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' , Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Pay level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix.	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation/ absorption.	**Promotion :** From amongst Sub Inspector (Hindi Translator) of Central Reserve Police Force in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix with five years regular service in the level, medical category SHAPE-I and successfully completed the training/course determined for the post of Inspector (Hindi Translator). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level alongwith their juniors who have already completed such qualifying service. **By deputation/absorption:** From amongst combatised Ministerial staff of Central Armed Police Forces/Central/Union territories/ State Police organisation holding: (a) (i) analogous post on a regular basis; or (ii) posts in pay level 6(Rs.35400 – 112400) in the pay matrix or equivalent with five years regular service in the level: (b) Possessing the following qualification :- Masters Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

	OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subject or either of two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government Offices including Government of India Undertaking. (c) Medical Category SHAPE-I. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering of promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force – Chairman ; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Member I and II.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Hindi Translator).	312* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Pay level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)
Thirty years (Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Masters Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at the degree level;

<table>
<tr>
<td>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).</td>
<td>
OR
Masters Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
OR
Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
OR
Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
OR
Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subject or either of two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and
Recognised Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Offices, including Public Sector Undertaking and;
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
Physical standard :-
<table>
<tr><td>Height</td><td>Male</td><td>Female</td></tr>
<tr><td>For all candidates except the Schedule Tribes candidates</td><td>165
cms</td><td>155 cms</td></tr>
<tr><td>Relaxation: Candidates falling in the categories of Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and

candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Mehgalaya, Assam, Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Union territory of Jammu and Kashmir</td><td>162.5
cms</td><td>150
cms</td></tr>
<tr><td>All candidates belonging to the Schedule Tribes</td><td>162.5
cms</td><td>150
cms</td></tr>
<tr><td colspan="3">Chest (for male candidates only)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td></td><td>General (including Scheduled Castes/ Backward Castes)</td><td>Scheduled Tribes</td></tr>
<tr><td>Unexpended</td><td>77 cms</td><td>76 cms</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	Expended | 82 cms | 81 cms **Weight:** Corresponding to height and age as per medical standards (For males and females) and ; **Medical Standard :-** **Eye Sight.-** The minimum distant vision should be 6/6 in one eye and 6/9 in other eye without correction i.e. without wearing of glasses or lenses. Candidates must not have knock knee, flat foot, squint in eyes or varicose vein and they should posses high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties and medically fit in all respect as specified in the guidelines issued by the Central Government for recruitment of medical examinations from time to time. **Desirable :** Knowledge of Computer Operation and typing in Hindi and English.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force – Chairman ; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Member I and II.	Not applicable.

[F.No. R. IX.1/2020-Min-DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 174.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विभागीय कैंटीन (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग),विभागीय कैंटीन (समूह 'ख') पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विभागीय कैंटीन (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों की, अनुसूची में,-

(क) प्रबंधक-सह-लेखाकार के पद से संबंधित, क्रम संख्यांक 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”
(4)
स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)। **टिप्पण :** पद के पदधारी ऐसी दरों पर विशेष भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए।

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन,-

(क) “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200/-रु. सहित ग्रेड वेतन 2400/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रु.)” शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

(ख) ‘टिप्पण 3’ का लोप किया जाएगा,-

(ख) प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन ,-

(i) खण्ड (क) में,-

उप-खण्ड (ii) में “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200/-रु. सहित ग्रेड वेतन 2800/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

उप-खण्ड (iii) में, “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200/-रु. सहित ग्रेड वेतन 2400/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “स्तर 4 (25,500-81,100 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

(ii) ‘टिप्पण 4’ का लोप किया जाएगा;

(ख) उप महा प्रबंधक के पद से संबंधित, क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/-रु. सहित ग्रेड वेतन 4200/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन,-

(क) “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200/-रु. सहित ग्रेड वेतन 2400/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ख) ‘टिप्पण 3’ का लोप किया जाएगा,-

(ख) प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन ,-

(i) खण्ड (क) में ,-

उप-खण्ड (ii) में “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200/-रु. सहित ग्रेड वेतन 2800/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

उप-खण्ड (iii) में, “वेतन बैंड-1 5,200-20,200/-रु. सहित ग्रेड वेतन 2400/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “स्तर 4 (25,500-81,100 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ii) ‘टिप्पण 4’ का लोप किया जाएगा;

(ग) महा प्रबंधक के पद से संबंधित, क्रम संख्यांक 3 के सामने ,-

(i) स्तंभ (4) में, “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/-रु. सहित ग्रेड वेतन 4200/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन ,-

(i) “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/-रु. सहित ग्रेड वेतन 4200/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ii) ‘टिप्पण 3’ का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन ,-

(i) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/-रु. सहित ग्रेड वेतन 4200/-रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ii) ‘टिप्पण 4’ का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/2/2018-प्रशा.III]

प्रेम कुमार मंडल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख जुलाई 3 – जुलाई 9, 2016 में संख्यांक सा.का.नि. 119, तारीख 7 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 28th November, 2022

G.S.R. 174.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Departmental Canteen (Group ‘B’) Posts Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Departmental Canteen (Group ‘B’) Posts (Amendment) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Departmental Canteen (Group ‘B’) Posts Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”.

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Manager-cum-Accountant, –

(i) in column 4, for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400). **Note:** The incumbents of the post shall be entitled to draw special allowances at such rates as may be decided by the Government from time to time.”;

(ii) in column (11), -

(A) under the heading Promotion,-

(a) for the words, figures and letters "Pay Band-1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay of Rs. 2400/-", the words, figures, brackets and letters "level 4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) the 'Note 3' shall be omitted;

(B) under the heading Deputation,-

(i) in clause (a), -

in sub-clause (ii), for the words, figures and letters "Pay Band-I, Rs. 5,200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2800/-", the words, figures, brackets and letters "level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix" shall be substituted;

in sub-clause (iii), for the words, figures and letters "Pay Band-I, Rs. 5,200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2400/-", the word, figures, brackets and letters "level 4 (Rs. 25,500-81,100)" shall be substituted;

(ii) the 'Note 4' shall be omitted;

(b) against serial number 2, relating to the post of the Deputy General Manager, -

(i) in column (4), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9,300 - 34,800 with grade pay of Rs. 4200/-", the words, figures, brackets and letters "level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) in column (11), -

(A) under the heading Promotion, -

(a) for the words, figures and letters "Pay Band-1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay of Rs. 2400/-", the words, figures, brackets and letters "level 4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) the 'Note 3' shall be omitted;

(B) under the heading Deputation, -

(i) in clause (a), -

in sub-clause (ii), for the words, figures and letters "Pay Band-I, Rs. 5,200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2800/-", the words, figures, brackets and letters "level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix" shall be substituted;

in sub-clause (iii), for the words, figures and letters "Pay Band-I, Rs. 5,200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2400/-", the word, figures, brackets and letters "level 4 (Rs. 25,500-81,100)" shall be substituted;

(ii) the 'Note 4' shall be omitted;

(c) against serial number 3, relating to the post of the General Manager, -

(i) in column (4), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay of Rs. 4200/-", the word, figures, brackets and letters "level 6 (Rs. 35,400-1,12,400)" shall be substituted;

(ii) in column (11), -

(A) under the heading Promotion, -

(i) for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay of Rs. 4200/-", the words, figures, brackets and letters "level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) the 'Note 3' shall be omitted;

(B) under the heading Deputation, -

(i) in clause (a), in sub-clause (i), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay of Rs. 4200/-", the words, figures, brackets and letters "level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) the 'Note 4' shall be omitted.

[F. No. - A-12018/2/2018-Ad.III]

PREM KUMAR MANDAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 119, dated the 7th June, 2016 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated July 3 – July 9, 2016.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 175.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973" को, जहाँ तक उसका संबंध प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से है और डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	71* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ख) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं ,जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं	दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5(29200-92300 रुपये) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 4. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उप निदेशक प्रशासन - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल,	आवश्यक नहीं है।

	सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 4. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/22/2018-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th November 2022

G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of ''the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973'', in so far as they relate to the post of Laboratory Technician and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Senior Laboratory Technician, Recruitment Rules 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Laboratory Technologist, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Medical Laboratory Technologist, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay-matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Laboratory Technologist.	71* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level 6 in the pay-matrix6 (Rs. 35400-112400).	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servant's up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(A)Bachelor's degree in Medical Laboratory Science from a recognised University or Institute. (B)Two years' experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from a recognized Hospital or Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age :No Educational Qualifications: No	Two years	90 % by direct recruitment and 10 % by Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Junior Medical Laboratory Technologist of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with six years regular service in Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) who have successfully completed training of two weeks in a Laboratory as	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1.Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman;	Not necessary.

prescribed by the department. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2.Head of Laboratory Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; 3.Deputy Director in-charge of Medical Hospital division in Directorate General of Health Services -Member; 4.Deputy Director Administration of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1.Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman; 2.Head of Laboratory Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; 3.Deputy Director in-charge of Medical Hospital division in Directorate General of Health Services -Member; 4.Deputy Director Administration of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member.	

[F. No. A.11018/22/2018-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीकी पर्यवेक्षक (प्रयोगशाला) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)	09* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पाँच वर्ष नियमित

	सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 4. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/22/2018-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November 2022

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Technical Supervisor (Laboratories) and Senior Technical Assistant (Laboratories) Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Medical Laboratory Technology),Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay-matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay-matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Officer (Medical Laboratory Technology)	9* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay-matrix (Rs. 44900-142400/-).	Selection post

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Medical Laboratory Technologist of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with five years regular service in Level 6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) and have successfully completed training of two weeks in a laboratory as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Head of Laboratory Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; 3.Deputy Director in-charge of Medical Hospital Division in Directorate General of Health Services -Member; 4.Deputy Director Administration of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/22/2018-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-II के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, आशुलिपिक श्रेणी- II (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-II	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके आयु चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके आयु पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>**आवश्यक:**</u> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या

कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कौशल परीक्षा मानक : श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट। लिप्यंकन: 65 मिनट (अँग्रेजी) 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अँग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर)		लिए दो वर्ष।	लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/13/2015-एमएच-।।]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November 2022

G.S.R. 177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, (Stenographer Grade II and Stenographer) Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, of the Ministry of Health & Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade II	1*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (25500-81100/-) in the pay-matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty–five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(**<u>Essential :</u>** (i) Class 12th Pass from a recognised Board. (ii) Skill test norms Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) on Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On computer)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration

		of one year or more may be filled on deputation basis from officials of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Deputy Director looking after the administrative work of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in the Directorate General Of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Administration), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member.	Not applicable

[F. No. A. 11018/13/2015-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, आशुलिपिक श्रेणी-II (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-II	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) कौशल परीक्षा मानक : श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट । लिप्यंकन: 65 मिनट (अँग्रेजी) 75 मिनट (हिन्दी)(मैनुअल टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अँग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष । टिप्पण:- केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि की अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ

(कम्प्यूटर पर) टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल -अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, कलावती सरन बाल अस्पताल -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/24/2021-एमएच-।।]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2022

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Stenographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, of the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post) Recruitment Rules,2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade II.	1*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay-matrix (25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12^{th} class pass from a recognised Board. (ii) Skill test norms Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: (i) 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) on Manual Typewriter); or (ii) 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (on computer). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to

	be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government; holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital - Chairman; 2. Deputy Director looking after the administrative work of Kalawati Saran Children's Hospital in the Directorate General of Health Services -Member; 3. Administrative Officer, Kalawati Saran Children's Hospital -Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/24/2021-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा विभाग में कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I) (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I)	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/-रुपये)	लागू नहीं होता।	21 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित

					की गयी है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** नवीनतम तकनीक या उपकरणों वाले किसी उन्नत विकिरण चिकित्सा केंद्र या संस्थान में कार्य करने का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा: (क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रशासन का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 4. उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/07/2022-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2022

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Radiotherapy Technologist (Grade–I) in the Radiotherapy Department of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Junior Radiotherapy Technologist (Grade–I) (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any Person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Radiotherapy Technologist (Grade–I)	6* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 21 and 27 years (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.	**Essential:** 1. 12th class Pass with Science from a recognised Board. 2.(a) Two years' post graduate Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy; or (b) Three years' radiation therapy technologist B.Sc. Degree course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised Institution with infield training in radiotherapy; or (c) Two years' Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority Atomic Energy Regulatory Board passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-diploma experience from a recognised hospital or institute. **Desirable**: Experience in working in an advanced radiotherapy centre or Institute with latest techniques or equipment. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

case of promotees.		
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By Direct Recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government; (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of : 1.Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Head of the Radiotherapy Department, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3.Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 4. Deputy Director , Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/07/2022-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां तक रसोइया-सह-रसोई-सहायक, दर्जी, धोबी-सह-प्रैसमैन के पदों से संबंधित है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में रसोईया-सह रसोई-सहायक, दर्जी, धोबी-सह-प्रैसमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल रसोईया-सह रसोई-सहायक, दर्जी, धोबी-सह-प्रैसमैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

क्रं स.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रसोईया-सह रसोई सहायक।	04* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु)।	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष के बीच*। *पद के लिए नियुक्ति के मामले में अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से आयु-सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ii)सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान से वृतिक में कार्यकरण में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव

						अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
2.	दर्जी।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु)।	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच*। *पद के लिए नियुक्ति के मामले में अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से आयु-सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	तीन वर्ष के लिए व्यापार में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ मैट्रिकुलेशन; या दर्जी के पद के लिए सिलाई या कढाई और सिलाई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा के साथ आई.टी.आई उत्तीर्ण। **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के

						अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
3.	धोबी-सह-प्रैस मैन।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु)।	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच*। *पद के लिए नियुक्ति के मामले में अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से आयु-सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण मैट्रिकुलेशन या समतुल्य वृतिक में कार्यकरण में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के

						मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्रं स.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आदेश पर भरी जा सकेगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - सदस्य।	लागू नहीं होता।

			हुए है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।			
2.	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य।	लागू नहीं होता।
3.	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

			किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।			

[फा. सं. ए-12018/08/2018-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2022

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute at Gouripur in Bankura District, West Bengal (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the posts of Cook-cum-Kitchen Assistant, Tailor, Dhobi-cum-Pressman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook-cum-Kitchen Assistant, Tailor, Dhobi-cum-Pressman in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Bankura, West Bengal, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Bankura, West Bengal, Cook-cum-Kitchen Assistant, Tailor, Dhobi-cum-Pressman, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No	Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational qualifications required for direct recruits.
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Cook-cum-Kitchen Assistant	4* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial	Level-1 (Rs.18000 to 56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years*. *In case the appointment to the post is made through all India open Competition the age-limit shall be between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognized Board. (ii) Two years experience of working in the profession from Government/ Semi Government Institutions. Note 1: Qualification is relaxable at the

						Government.) Note 1: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	discretion of the Competent Authority in case of candidate otherwise well qualified. Note2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
2.	Tailor.	1* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial	Level-1 (Rs.18000 to 56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years*. *In case the appointment to the post is made through all India open Competition the age-limit shall be between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation with practical training in the trade for 03 years Or ITI pass with Diploma from Industrial Training Institute in Tailor or Cutting and Sewing trade for the post of Tailor. Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidate otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
3.	Dhobi-cum-Pressman.	2* (2022) *(Subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial	Level-1 (Rs.18000 to 56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years*. *In case the appointment to the post is made through all India open Competition the age-limit shall be	Matriculation or equivalent pass from a recognized Board. Two years experience of working in the

		workload).				between 18 and 27 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) **Note 2**: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names	profession. **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidate otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them

S. No	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
	8	9	10	11	12	13
1.	Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of – 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur -Chairman; 2.Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur -Member;	Not applicable.
2.	Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of – 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur -Chairman ;	Not applicable.

			filled on deputation basis from officers of Central Government.- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).		2. Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member	
3.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of – 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur -Chairman; 2. Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/08/2018-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जहां तक चपरासी–सह-ड्यूटी-परिचर, स्वच्छता कार्यकर्ता, माली के पदों का संबंध है, अधिक्रांत करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर जिला बांकुरा, पशिचम बंगाल (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, गौरीपुर (चपरासी-सह-रात्री-प्रहरी) भर्ती नियम 2001 में भी अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया है या करने का लोप किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा पशिचम बंगाल में बहुकार्यकर्मचारीवृंद (चपरासी-सह-रात्री ड्यूटी-परिचर, स्वच्छता कार्यकर्ता, माली) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल बहुकार्यकर्मचारीवृंद (चपरासी-सह-रात्री प्रहरी, चपरासी-सह-साधारण ड्यूटी, स्वच्छता कार्यकर्ता, माली) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहुकार्यकर्मचारीवृदं।	24* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु)।	लागू नहीं होता ।	18 और 25 वर्ष के बीच*। * पद के लिए नियुक्ति के मामले में अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से आयु-सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु-सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन उत्तार्ण या समतुल्य। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी कि यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों

					द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आदेश पर भरी जा सकेंगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर	लागू नहीं होता।

- सदस्य ।	

[फा. सं. ए-12018/08/2018-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2022

G.S.R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute at Gauripur in Bankura District, West Bengal (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the posts of Peon-cum-Duty Attendant, Sanitary Worker, Mali and also in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur (Peon-cum-Night Watchman) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff (Peon-cum-Night Watchman, Peon-cum-General Duty Attendant, Sanitary Worker, Mali) in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura, West Bengal, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare , Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura, West Bengal, Multi-Tasking Staff (Peon-cum-Night Watchman, Peon-cum-General Duty Attendant, Sanitary Worker and Mali) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff.	24* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial.	Level-1 (Rs.18000 to 56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational qualifications required for direct recruits.

(6)	(7)
Between 18 and 25 years*. * In case the appointment to the post is made through all India open Competition the age-limit shall be between 18 and 27 years. (The upper age limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh , Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation or equivalent pass from a recognized Board/University. **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidate otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis form officers of Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Chairman; 2. Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute,	Not applicable.

Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member.	

[F. No. A-12018/08/2018-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 182.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली दुग्ध योजना हिंदी अधिकारी (समूह "ख") भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना में हिंदी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध योजना, सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह- "क" पद) भर्ती नियम 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** पद की संख्या, इससे संलग्न उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि-** उक्त पद पर भर्ती कीपद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विर्निदिष्ट है।

4. **निरर्हता—** वह व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह सामाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख बद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृतिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1 (2022) * * कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" ,	स्तर, 10 वेतन मैट्रिक्स	चयन पद	लागू नहीं होता

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित, अननुसचिवीय	(रूपये 56100-177500)		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	
आयुः लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पद्धति	प्रतिशतता
		प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति	100

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाएगा
(11)

प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नोति (संयुक्त पद्धति)

<u>प्रतिनियुक्तिः</u>-

केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे प्रशासन अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रूपये 44900-142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं:-

आवश्यकः-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो, या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या

(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो;

(2) अनुभवः-

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी शब्दावली (पारिभाषित कार्य) के प्रयोग या उपयोजन और अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी या विषर्ययेन, अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हों; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी अथवा अंग्रेजी

में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीयः-** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं स्तर तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न भाषाओं में से किसी एक का अध्ययन किया हो । **टिप्पणः-** (1) ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के संबंध में भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रूपये 44900-142400) की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो उस पर भी अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा और यदि उसका उस पद पर चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा । **टिप्पणः-** (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	
(12)	
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव या उप-सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग- सदस्य 3.महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना- सदस्य।	विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. संयुक्त सचिव (डेयरी विकास) पशुपालन और डेयरी विभाग- अध्यक्ष 2. निदेशक या उप-सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग- सदस्य 3. महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना-सदस्य।
भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(13)	
संघलोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

[फा. सं. एम-03003/1/2021-प्रशा.-4 (ई. सं.18913)]

दीपक सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi,the 4th November, 2022

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Delhi Milk Scheme, Hindi Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer in Delhi Milk Scheme under the Department of Animal Husbandry and Dairying in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme, Assistant Director (Official Language), (Group ‘A’ post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in Pay matrix.**	**Whether selection post or Non-selection post.**	**Age-limit for direct recruitment.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Assistant Director (Official Language).	1* (2022) Subject to variation dependent of workload.	General Central Service Group, A Gazetted, Non-Ministerial.	Level, 10 (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational Qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption and Percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	
Not Applicable.	**Age:** Not Applicable.	Two Years for promotees.	Method	Percentage
			Deputation or Promotion	100

In Case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion /deputation transfer to be made.
(11)

<u>Deputation or Promotion(composite method)</u>

Deputation:

I. Officers from the Central or State Governments or Union territories: -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level,7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix, and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(i) Master degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or

(ii) Master degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or

(iii) Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or

(iv) Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or

(v) Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

(2) Experience:

(i) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or autonomous body or Statutory organizations or public sector undertaking or universities or recognised research institute or educational institutions. or

(ii) Three years' experience of Teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organizations or public sector undertaking or Universities or recognised research institute or educational institutions.

Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board.

Note 1: The departmental Senior Translation Officer in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years regular service in the grade having educational qualifications and experience prescribed for deputationists will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its compositions.	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
<u>Departmental Promotion Committee Consisting of:-</u> 1.Chairman or Member Union Public Service Commission -**Chairman;** 2. Joint Secretary or Deputy Secretary (Dairy Development) Department of Animal Husbandry and Dairying –**Member;** 3. General Manager, Delhi Milk Scheme -**Member.** **<u>Departmental Confirmation Committee Consisting of:</u>** 1. Joint Secretary(Dairy Development) Department of Animal Husbandry and Dairying - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary(Dairy Development) Department of Animal Husbandry and Dairying- **Member;** 3. General Manager, Delhi Milk Scheme - **Member**.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. M-03003/1/2021-Admn.4 (E.No.18913)]

DEEPAK SETHI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.09 15:05:53 +05'30'